न्यायालय – भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, खूँटी

दा0 खा0 अपील वाद सं0– 24/2019-20

आवेदक/प्रथम पक्ष – निरूपा रानी देवी पति संदीप राम
ग्राम–चिकोर, थाना–खूँटी, जिला–खूँटी।

विपक्षी/द्वितीय पक्ष – 1. अमित कुमार भगत पिता राम रतन भगत
ग्राम–कर्रा रोड, खूँटी
2. संदीप राम पिता मुतूर राम
ग्राम–चिकोर, थाना–खूँटी, जिला–खूँटी।
3. रामलखन भगत 4. सत्यनारायण भगत 5. श्याम किशोर भगत सभी पिता स्व0 रघुनंदन भगत
6. नीलकांत भगत पिता राम रतन भगत
ग्राम–कर्रा रोड, खूँटी।

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश	की गई कार्रवाई
13.11.20	अभिलेख आज उपस्थापित किया गया। अभिलेख एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया।	

आवेदक ने वर्त्तमान वाद दा0 खा0 वाद सं0–1571R27/18-19 में अंचल अधिकारी, खूँटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.03.19 के विरूद्ध अपील दाखिल किया है जो निम्नवर्णित भूमि के दाखिल खारिज से संबंधित है:–

मौजा	थाना/थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा(एकड़ में)
खूँटी टोली	खूँटी 80	06	172	0.16

अपीलकर्ता के अपील आवेदन एवं अंचल अधिकारी, खूँटी के आदेश की अभिप्रमाणित प्रति को देखा आवेदक द्वारा विलम्ब से वाद दायर करने संबंधी U/S 5 of the Limitation Act के तहत आवेदन दाखिल किया गया। अपील संस्थित करने वो सुनवाई का प्रर्याप्त आधार पाते हुये उक्त दा0 खा0 अपील वाद को अंगीकार किया गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता कथन करते है कि मौजा–खूँटी टोली, थाना–खूँटी के उक्त भूमि जिसकी कुल रकबा 0.16 एकड़ है जिसे अमित कुमार भगत पिता स्व0 राम रतन भगत ग्राम–कर्रा रोड निवासी ने संदीप राम पिता श्री मुटुर राम ग्राम–चिकोर, थाना–खूँटी, को पॉवर हॉल्डर (पॉवर ऑफ एटोर्नी) देकर श्रीमती निरूपा रानी देवी पति श्री संदीप राम ग्राम–चिकोर थाना–खूँटी को निबंधन पट्टा सं0 339/329 दिनांक 02.11.2018 से बिक्री किया है। वर्णित जमीन RS खतियानी में बकास्त मालिक लगान पाने वाला द्रीपनाथ सिंह का नाम दर्ज पाया है। वर्णित जमीन को जानकी भगत पिता गोपाल भगत ने दिनांक 04.09.1948 ई0 को ग्राम–खूँटी टोली, थाना–खूँटी के खाता नं0–06, प्लॉट नं0–172, रकबा–0.79 एकड़ को रघुनंदन भगत उर्फ मुटरा भगत वल्द शिवसहाय भगत के हाथ विक्रय कर दिया। रघुनंदन भगत उर्फ मुटरा भगत के स्वर्गवास होने के बाद उनके पांच पुत्र 1. सरजु भगत वो 2. राम रतन भगत वो 3. रामलखन भगत वो 4. सत्यनारायण भगत वो 5. श्यामकिशोर भगत को स्वत: पूर्ण अधिकार वो स्वामित्व प्राप्त हुआ वो पांचो भाई अपने–अपने सुविधानुसार बँटवारा कर अपने–अपने हिस्से पर दखलकार हुए वो रामरतन भगत के स्वर्गवास के बाद उनके चार उत्तराधिकारी पुत्र 1. विपिन कुमार भगत वो 2. नीलकान्त भगत वो 3. आदित्य भगत वो 4.

विक्रेता अमित कुमार भगत को स्वतः पूर्ण अधिकार वो स्वामित्व प्राप्त हुआ वो चा[illegible] भाई अपने–अपने सुविधानुसार मौखिक बँटवारा कर अपने–अपने हिस्से पर दखलकार हुए।

अंचल अधिकारी, खूँटी के प्रतिवेदन अनुसार पंजी 2 रैयत के वंशज राम लखन भगत, सत्यनारायण भगत, श्यामकिशोर भगत एवं नीलकान्त भगत के द्वारा लिखित आपत्ति दिये जाने के कारण नामांतरण अस्वीकृत की गयी है।

दोनों पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के बहस के दौरान बताया गया कि अंचल अधिकारी, खूँटी ने बिना उभय पक्षो को सुने ही आदेश पारित किया गया है। दोनों अधिवक्ता के द्वारा पूर्व में विक्री किये गये भूमि से संबंधित विवरणी दाखिल किया गया है। उक्त विवरणी पर दोनों पक्ष सहमत नहीं हैं।

अतः अंचल अधिकारी, खूँटी को **Remand** करते हुए निर्देश दिया जाता है कि राम लखन भगत, सत्यनारायण भगत, श्यामकिशोर भगत एवं नीलकान्त भगत द्वारा किये गये आपत्ति के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए नये सिरे से आदेश पारित करे।

लेखापित एवं संशोधित

13/11/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

13/11/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

Digitally signed by JITENDRA MUNDA
Date: 2021.08.16 12:07:30 +05:30
Location: 10.93.43.4